(37)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र.– R-309-IE/13

विनोद खरे तनय काशीप्रसाद खरे, सुरेन्द्र सिंह तनय भगवानसिंह ठाकुर, पर्वतसिंह, अमरसिंह, हरगोविन्दसिंह पुत्रगण रामप्रसाद यादव निवासी मांची तह. जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

1– हर प्रसाद तनय लक्ष्मन सौर
निवासी ग्राम बम्होरी अवदा तहसील जतारा
जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

2– म.प्र. शासन

.....प्रतिनिगराकार/अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत प्रतिकूल निर्णय न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 37/पुर्नविलोकन/2012–13 आदेश दिनांक 3–1–2013 से व्यथित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्नलिखित आधारों सहित प्रस्तुत है :–

(1) यह कि न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश नियम न्याय विधि सिद्धांतों एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(2) यह कि न्यायालय द्वारा एकांकी दृष्टिकोण अपनाकर आदेश पारित किये हैं जो स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(3) यह कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुर्नविलोकन के निर्देशों का पालन नहीं किया है एवं मनमाने ढंग से पुर्नविलोकन के आधारों के विपरीत निष्कर्ष

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-309-दो/2016 जिला टीकमगढ़

विनोद विरूद्ध हरप्रसाद व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक परवेज की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 37/पुर्नविलोकन/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 03-01-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-01-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

21.12.18

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य 21.12.18